तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेस्टोरेश प्रार्थना पत्र संख्या 10/2020 बअनवान जयनारायण के का.मु. पृथ्वीसिंह बनाम प्रकाश के का.मु. लक्ष्मी देवी वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

आदेश

दिनांक 11.12.2024

उपस्थिति

1. प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री विजय कुमार मालवीय
2. अप्रार्थीगण की तरफ से अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश बूब

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामीली उभयपक्ष की रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि हस्तगत मामले में अपीलांट जयनारायण के फौत हो जाने से अपील दिनांक 29.06.2017 को अपीलांट के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। प्रार्थी अपीलांट जयनारायण का वसीयती पुत्र है तथा गरीब काश्तकार है जिसे अधिवक्ता से विधिसम्मत, विधिक राय व विधि की जानकारी प्राप्त नहीं होने से उक्त अपील को समय पर रेस्टोर नहीं करवा सका। न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपील को पुनः नंबर पर लिया जाना आवश्यक है। अंत में प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुति में हुए विलंब को माफ किया जाकर गुणावगुण पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार फरमाया जावे एवं अदालत हाजा के आदेश दिनांक 29.06.2017 को अपास्त किया जावे एवं अपील को पुनः रेस्टोर किये जाने का आदेश फरमावे।

जवाब में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थी के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा 3 साल बाद अपील को पुनः नंबर पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा विलंब का कारण विधिक राय प्राप्त नहीं होना बताया है जो सद्भाविक कारण नहीं है। प्रार्थी जमीन के खरीद फरोक्त का काम करता है तथा जोधपुर में ही रहता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मयाद बाधित होने से खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेस्टोरेश प्रार्थना पत्र संख्या 10/2020 बअनवान जयनारायण के का.मु. पृथ्वीसिंह बनाम प्रकाश के का.मु. लक्ष्मी देवी वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक दिनांक 29.06.2017 को अपीलांट अथवा उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं होने पर अदालत हाजा द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र अधीन अपील संख्या 88/2013 अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता की अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज की गई है। प्रार्थी का कथन है कि अपीलांट जयनारायण फौत हो चुका है तथा वह उसका वसीयती पुत्र है, किंतु इस संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा न ही स्व. जयनारायण का मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा उसके मूल वारिसान् की सहमति इत्यादि पेश की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलंब का कारण अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त नहीं होना बताया गया है जो प्रथमदृष्टया विलंब का सद्भाविक कारण नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काल वर्जित पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सीपीसी म्याद बाधित एवं सारहीन पाये जाने से खारिज किया जाता है।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर